HEAD OFFICE
Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board
29/20, Nemi Road, Dalanwala, Dehradun, Uttarakhand
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20, नेमी रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड)
Phone: (0135) 2658086; Fax: (0135) 2718092; E-mail: msukpcb@yahoo.com; Web: www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UEPPCB/HO/NOC-1509/2018/ 1453 Dehradun, November 14, 2018

SPEED POST

To,

The Secretary,
Ministry of Environment, Forests & Climate Change,
Govt. of India,
Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003

Sub.: Minutes of Public Hearing for "Expansion of production capacity from 600 TPA to 800 TPA Refined Silver of M/S Hindustan Zinc Limited (Pantnagar Silver Plant), Plot 2&3, Sector-14, IIE, Sidcul, Pantnagar, US Nagar (Uttarakhand) - reg.

Sir,

This has to inform that the **Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board** had conducted the public hearing for **"Expansion of production capacity from 600 TPA to 800 TPA Refined Silver of M/S Hindustan Zinc Limited (Pantnagar Silver Plant), Plot 2&3, Sector-14, IIE, Sidcul, Pantnagar, US Nagar (Uttarakhand)** at industry premises- Plot No. 2 & 3, Sector-14, IIE, Sidcul, Pantnagar, US Nagar (Uttarakhand) on dated 26.10.2018.

The copy of the minutes of public hearing (Page 1-6) along with video recording, photographs and attendance sheets is enclosed for kind information and necessary action at the end of Ministry please.

Encl.: as above.

Yours faithfully,

(Sudarshan S. Pal)
Chief Environment Officer

Copy to:

1. **Member Secretary, UEPPCB,** Dehradun for kind information please.
2. **District Magistrate,** Distt. US Nagar (Uttarakhand) for kind information and with request to display the minutes of public hearing at your office for general information please.
3. **Shri Uttam Singh Chauhan, Additional District Magistrate (Finance),** Distt. US Nagar (Uttarakhand) for kind information please.
4. **Sh. C. Chandru, Unit Head, Hindustan Zinc Limited (Pantnagar Silver Plant),** Plot 2&3, Sector-14, IIE, Sidcul, Pantnagar, US Nagar (Uttarakhand) for kind information with request to display the minutes of public hearing to the office of the Panchayats/Urban Local Bodies, whose jurisdiction the project is located for general information please. [Enclosed: Minutes of Public Hearing (Page 1-6), Attendance sheets; Photographs and Video recording].
5. **Upper Mukhya Adhikari, Zila Panchayat, Distt. US Nagar (Uttarakhand)** with request to display the minutes of public hearing at your office for general information please.
6. **Regional Officer, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board,** Regional Offcie, Kashipur, **Distt. US Nagar** with request to display the minutes of public hearing at your office for general information please.
7. **Ms. N. Dimri, IO-Envis** for uploading of minutes of public hearing to the Board's web site on priority basis please.

14.11.18

Chief Environment Officer

दिनांक 26.10.2018 को **M/s Hindustan Zinc Limited (Silver Plant) Plot- 2 &3, Sector-14, IIE Pantnagar, Dist Udham Singh Nagar** की 600 टन प्रति वर्ष (रिफाइन्ड सिल्वर) से 800 टन प्रति वर्ष (रिफाइन्ड सिल्वर) के क्षमता विस्तारीकरण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई का कार्यवृत्त

M/s Hindustan Zinc Ltd (Silver Plant) Plot-2 & 3, Sector- 14, IIE, Pantnagar Dist US Nagar द्वारा रिफाइन्ड सिल्वर के क्षमता विस्तारीकरण जो वर्तमान उत्पादन 600 टन प्रति वर्ष से बढकर 800 टन प्रति वर्ष होगा हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति की जन सुनवाई हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 के अन्तर्गत आच्छादित है। लोक परामर्श हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में 19.09.2018 को प्रकाशित की गयी थी। जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा नामित श्री उत्तम सिंह चौहान, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) की अध्यक्षता में दिनांक 26.10.18 को प्रातः 11:00 बजे उद्योग परिसर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही। इस अनुक्रम में परामर्शी संस्था विमता लैबस लि0, हैदराबाद द्वारा बनाई गयी ई.आई.ए. रिपोर्ट पर परियोजना के प्रतिनिधी द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया है। जिसका सारांश निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

1. उद्योग द्वारा वर्तमान मे 01 नोबल फर्नेश 14 टन/दिन, 02 कूपोला फर्नेश (2.5 x 2 टन/दिन) यथावत् रहेगी। वर्तमान मे स्थापित 0.6 टन/दिन क्षमता की 03 इन्डक्शन फर्नेश को 02 इन्डक्शन फर्नेश 01 टन/दिन एवं 01 इन्डक्शन फर्नेश 1.5 टन/दिन से उच्चीकृत किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 01 जन्कर फर्नेश 4 टन/दिन क्षमता तथा Refinery हेतु 4 टन/दिन क्षमता की 01 BBOC Furnace लगायी जानी प्रस्तावित है। इन सभी फर्नेश पर नियमानुसार वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्थायें लगी होगीं तथा ऑनलाईन मॉनीटरिंग की जायेगी।
2. उद्योग हेतु कुल क्षेत्रफल 18 हेक्टेयर है, जो कि उद्योग के स्वामित्व में है। विस्तारीकरण हेतु पृथक से जमीन की आवश्यकता नहीं होगी तथा विस्तारीकरण हेतु परियोजना की कुल लागत रू0 20 करोड प्रस्तावित है।
3- प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 के अन्तर्गत Schedule मे कमांक 3(a) मे आच्छादित है। जिस कारण यह लोक सुनवाई आयोजित की गयी है।
4. प्रस्तावित विस्तारीकरण परियोजना में कुल जल खपत 325 किली प्रतिदिन होगी, जिस हेतु भूगर्भीय जल को प्रयुक्त किया जायेगा एवं केन्द्रीय भू–गर्भीय बोर्ड से उक्त हेतु

जाती है तथा कम्पनी में अलग–अलग स्तर पर सुरक्षा प्रबन्धन का कार्य किया जाता है।

2. **श्रीमती मांझी**, द्वारा पूछा गया कि आप सामुदायिक विकास में क्या कार्य कर किये जायेंगे। उक्त पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि बच्चो की पढाई के लिए आगनबांडी के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। पूर्व में कम्पनी द्वारा सेनेटरी नैपकीन मशीन द्वारा सामुदायिक विकास में योगदान किया गया है। गांव में स्वयं सहायता समूह बनाकार श्रृण उपलब्ध कराया जाता है। गांव में स्वास्थ्य कैम्प लगाये गयें हैं तथा बच्चो की शिक्षा पर भी कार्य किया जा रहा है। आगामी 03 वर्षो में रू0 7.18 करोड सामुदायिक विकास हेतु प्रस्तावित है।

3. **श्रीमती अंजना, गांव–चन्दननगर**, द्वारा पूछा गया कि गन्दे पानी के लिए क्या व्यवस्था है। उक्त पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि उक्त हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाया गया है, जिसके शुद्विकृत उत्प्रवाह को ग्रीन बैल्ट में किया जा रहा है। सॉलिड वेस्ट का खाद के रूप में उपयोग किया जायेगा।

4. **श्रीमती फैरोनीसा, रूद्रपुर** द्वारा पुरूष व महिला के रोजगार दिये जाने से सम्बन्धित व्यवस्था के बारे में पूछा गया। उक्त पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि कम्पनी द्वारा वर्तमान में 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है। कम्पनी के स्वयं के निदेशक मण्डल में दो महिलायें सम्मिलित हैं तथा मानव संशाघन प्रमुख भी महिला ही हैं।

5. **श्री धीरज जोशी, छत्तरपुर गांव** द्वारा पूछा गया कि आस–पास के गांव के विकास के बारे में क्या योजना है। परियोजना प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि समीपस्थ गांव के विद्यालयों में अध्यापक नियुक्त करने की प्रकिया प्रारम्भ की जायेगी। वर्तमान में गांव में चिकित्सा कैम्प लगायें गये हैं तथ समीपस्थ क्षेत्र के 13 बच्चों को आई.आई.टी. कोचिंग के लिए भेजा गया है तथ बच्चो को उदयपुर में भी समर कैम्प में भेजा जाता है।

6. **श्रीमती सरस्वती, चितरंजनपुर** द्वारा पूछा गया कि खेती के विकास हेतु क्या कार्य किया जायेगा। उक्त पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि खेती के विकास के अनुसंधान हेतु वाह्य एजेन्सी को नियुक्त किया जायेगा एवं आस–पास के वातावरण के आधार पर जमीन पर किसी प्रकार की खेती की जा सकती है। इस पर कार्य किया जायेगा। यह भी बताया गया कि कम से कम पानी से खेती किस प्रकार की जाय इस पर भी कार्य किया जा रहा है।

7. **कु0 खुशविन्दर, रूद्रपुर** द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था के बारे में जानकारी चाही गयी, जिसमें उक्त पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में विश्व स्तरीय बैग फिल्टर लगाये जायेंगे। परियोजना विस्तारीकरण से अतिरिक्त रूप से पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नही पडेगा। प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संरक्षण हेतु अतिरिक्त कुल रू 02 करोड का व्यय प्रस्तावित है।

8. **श्री धनंजय महतो,** द्वारा पूछा गया कि इस कम्पनी के जो कार्मिक कार्य कर रहें हैं, यदि उनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उनके बच्चो के लिए कम्पनी की क्या नीति है। उक्त पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा बताया गया, जो कार्मिक कार्य कर रहें हैं, उनकी व उनके बच्चों की पूर्ण सुरक्षा की जायेगी। प्रत्येक कार्यरत कार्मिक का ई.पी. एफ./ई.एस.आई./बीमा अनिवार्य है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि दुर्घटना के पश्चात जिस विभाग की जो भी देनदारी है, कम्पनी उस क्लेम को दिलाने में तत्परता से कार्यवाही करती है। इसके अतिरिक्त प्लान्ट की यह भी जिम्मेदारी है, कि कोई दुर्घटना ना हो तथा प्रत्येक कार्मिक कार्य स्थल से सुरक्षित घर पहुंचे।

9. **श्रीमती सुनन्दनी, जयनगर**, द्वारा पूछा गया कि जो घर पर महिलायें है, उनके रोजगार के लिए क्या व्यवस्था है। उक्त पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि घर पर रहने वाली गृहणियों एवं इनके बच्चों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्थायें है, जिसमे सिलाई, कढाई, कम्प्यूटर इत्यादि सिखाया जाता है। इनकी संख्या निरन्तर बढाई जा रही है। प्रशिक्षित महिलायें श्रृंखला बनाकर अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षित कर सकती है।

10. **कु0 मैत्री नारायण,** द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था के बारे मे जानकारी चाही गयी एवं यह पूछा गया कि गांव की तरफ आने वाले धुएं की रोकथाम, प्लान्ट से निकलने वाले डस्ट/स्लज के रोकथाम की क्या कार्यवाही की जायेगी। जिस पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु फर्नेश पर उच्च गुणवत्ता के बैग फिल्टर लगाये जायेंगे। परिसर में परिवेशीय वायुगुणवत्ता स्टेशन स्थापित किये गये है, जिसमे वर्तमान में प्रदूषक तत्वों का सान्द्रण मानको के अनुरूप है। यह भी बताया गया कि निकटतम स्थानों पर धूल कणों का अनुश्रवण किया जायेगा। परियोजना विस्तारीकरण से अतिरिक्त रूप से पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नही पडेगा। लगाये जाने वाले बैग फिल्टर की दक्षता 99.99 प्रतिशत होगी। बैग फिल्टर से जनित होने वाली राख को पुनः फर्नेश में सिलवर रिकवरी हेतु पुनः चकित किया जायेगा। अन्य कोई भी सॉलिड वेस्ट निस्तारित नही होगा, इसे पुनः चकित किया जायेगा।

11. **श्री गौरव, पंतनगर, यूनिवर्सिटी**, –द्वारा वेस्ट वाटर की व्यवस्था के बारे मे जानकारी चाहीं गयी एवं डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान के सम्बन्ध में भी पूछा गया। इस पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि प्रकिया से जनित होने वाले पानी से सिलवर को निकाल लिया जायेगा तथा शेष बचे पानी को स्लैग पर स्प्रे करते हुए स्लैग की कशिंग की जायेगी। इस प्रकार इस पानी को पूर्ण रूप से पुनः उपयोग कर लिया जायेगा। डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि सुरक्षा हेतु सभी कार्मिको की ट्रेनिंग की जाती है। प्लान्ट को तीन हिस्सों में बांटकर सुरक्षा/आपात स्थिति सम्बन्धी प्लान का अनुश्रवण व रिव्यू किया जाता है। प्रत्येक तिमाही में दो बार मौक ड्रिल किया जाता है। कम्पनी के पास स्वयं की अग्निशमन टीम है।

12. **कु0 जरीन खान, द्वारा** पूछा गया कि जो महिलायें प्लान्ट में कार्य करेंगी, उनके लिए क्या सुविधायें हैं। इस पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि शिफ्ट बदलने के समय महिलाओं के आने–जाने की व्यवस्था है। नियुक्ति के समय बनाये जाने वाले अनुबन्ध में ही इन शर्तो को समाविष्ट कर लिया जाता है। महिलाओं को 06 माह मातृत्व अवकाश दिया जाता है। इसके साथ–साथ जो महिलायें बच्चो को एडोप्ट करना चाहती है। उनके लिए एडोपशन अवकाश की भी व्यवस्था है। कम्पनी नवजात शिशु की देखभाल हेतु केच सुविधा भी उपलब्ध कराती है।

13. **श्री दिलीप कुमार, दिनेशपुर**, –द्वारा पूछा गया कि जो प्लान्ट के अन्दर कार्य कर रहें हैं, यदि उन्हे कुछ हो जाता है तो उनके बच्चो के लिए कोई पॉलीसी है या नही व इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड के बच्चों को रोजगार दिया जायेगा या नही। परियोजना प्रबन्धक द्वारा बताया गया, कि वर्तमान में कम्पनी की इस तरह की कोई नीति नही हैं परन्तु जो कार्मिक कार्य कर रहें हैं, उनकी व उनके बच्चों की पूर्ण सुरक्षा की जायेगी। प्रत्येक कार्यरत कार्मिक का ई.पी.एफ. / ई.एस.आई./बीमा अनिवार्य है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि दुर्घटना के पश्चात जिस विभाग की जा भी देनदारी है, कम्पनी उस क्लेम को दिलाने में तत्परता से कार्यवाही करती है।

रोजगार के सम्बन्ध मे बताया गया कि नौकरी की रिक्तियां होने पर स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जायेगी। साथ ही साथ कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।

14. **कु0 नीता कौर, द्वारा** कहा गया कि हमारे गांव में एक पार्क/ग्राउन्ड की व्यवस्था की जाये। इस पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा कहा गया यदि स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई भूखण्ड या जमीन उपलब्ध कराई जाती है तो इस पर विचार कर कार्य किया जायेगा।

15. **श्रीमती मीना संधू,** द्वारा गांव वालों की जमीन पर कुछ उपयोगी कार्य करने हेतु सहयोग की अपेक्षा की गयी , जिस पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा इस परियोजना पर विचार किया जा रहा है कि किस तरह की भूमि पर फसल/फूल/बागवानी का कार्य किया जा सकता है तथा पानी की समस्या के समाधान पर भी कार्य किया जा रहा है। श्रीमती संधू द्वारा महिलाओं के प्रशिक्षण के बारे मे पूछे गये सवाल पर बताया गया कि कम्पनी स्वयं सहायता समूह बनाकर गृहणियों एवं इनके बच्चों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्थायें उपलब्ध कराती है, जिसमे सिलाई, कढाई, कम्प्यूटर इत्यादि सिखाया जाता है। इनकी संख्या निरन्तर बढाई जा रही है। प्रशिक्षित महिलायें श्रृंखला बनाकर अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षित कर सकती है।

16. **श्रीमती विमला राव, नगला,** द्वारा बच्चों के रोजगार के बारें में बात कही गयी। इस पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा रोजगार के सम्बन्ध मे बताया गया कि नौकरी की रिक्तियां होने पर स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जायेगी। साथ ही साथ कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

17. **श्रीमती ज्योति,** द्वारा अपने गांव में सडक की समस्या के बारे में कहा गया। इस पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा उन्हे जिला प्रशासन से समन्वय कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

18. **कु0 सपना मंडल, गांव–जगदीशपुर,** द्वारा अपने गांव में मेडिकल की समस्या के बारे में बताया, जिस पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा उनकी समस्या का निराकरण करते हुए बताया गया कि कम्पनी की स्वयं की मोबाईल हैल्थ वैन है जो कि समीपस्थ गांव में जाकर चिक्त्सिकीय सुविधायें प्रदान करती है।

उपरोक्त जन समुदाय की आपत्तियो/सुझावों को कार्यवृत्त मे सम्मिलित किया गया तथा यह कार्यवृत्त सभा में उपस्थित जन समुदाय को पढकर सुनाया गया तथा पूरी प्रकिया की विडियो रिकार्डिग भी करायी गयी। अन्त में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

(डॉ0 अंकुर कंसल)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प0सं0प्र0नि0बो0, काशीपुर

26/10/18
(उत्तम सिहं चौहान)
अपर जिलाधिकारी (वित्त)
जिला–उधमसिहनगर